संख्या-पी 22/14-2-2015-800(75)/2015

प्रेषक,

लाल जी राय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0 लखनऊ।

अनुभाग-2 लखनउ, दिनांक, 24 जुलाई, 2015

विषयः- जनपद फैजाबाद में लखनऊ रा0राजमार्ग संख्या' 28 के किमी0 107.064 से 107.548 के मध्य दोनो पटरी पर चौड़ीकरण एवं टोल प्लाजा की स्थापना हेतु 1.4001 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 84 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सख्या-2327/11-सी-फैजाबाद, दिनांक 24-6-2015 तदक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सैद्वांतिक स्वीकृति संख्या-8बी/यू0पी0/03/2015/एफसी/35, दिनांक 22-4-2015 व विधिवत स्वीकृति संख्या-8बी/यू0पी0/ 06/03/ 2015/ एफसी/ 2611, दिनांक 10-6-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फैजाबाद में लखनऊ रा0राजमार्ग संख्या' 28 के किमी0 107.064 से 107.548 के मध्य दोनो पटरी पर चौड़ीकरण एवं टोल प्लाजा की स्थापना हेतु 1.4001 हे0संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 84 वृक्षों के पातन की अनुमति, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शर्तो/प्रतिबंधों एवं राज्य सरकार के शर्तो/प्रतिबन्धों को एतदद्वारा निम्नवत समावेश करते हुये विज्ञप्ति निर्गत की जाती है:-

(1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
भा0स0

(2) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वनभूमि के बदले दुगुने अवनत
भा0स0 वन भूमि पर अर्थात 2.8002 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। यह वृक्षारोपण विधिवत स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(3) अगर शुद्ध वर्तमान दरों में बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई दर की
भा0स0 अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

(4) परियोजना के निर्माण् व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-
भा0स0 जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(5) प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान
भा0स0 मिट्टी/पत्थर काटने व भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

(6) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
भा0स0

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(7) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई
भा0स0 गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की आयेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

(8) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए
भा0स0 किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(9) प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया
भा0स0 जायेगा1 अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र से लगे प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी। सीमांकन का कार्य विधिवत स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा। इसकी अनुपालन भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मध्य क्षेत्र, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को प्रेषित किया जायेगा।

(10) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की
भा0स0 देख-रेख में किया जायेगा।

(11) प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक
भा0स0 अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(12) प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(13) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(14) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(15) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(16) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार कहोगा।

(17) प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी के वर्तमान बाजार दर पर मूल्य निश्चित कराकर वनभूमि का मूल्य (प्रीमिएम) प्राप्त कर प्रस्तावक विभाग को वन भूमि पर कब्जा दिया जायेगा।

(18) भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra

विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(19) प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक बृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया ायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, फैलिंग,लागिंग वं ट्रान्सपोट्रेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। बृक्षों के छपान का व्यय स्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के त्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में ल्लिखित है।

(20) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(21) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(22) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(लाल जी राय)
विशेष सचिव।

संख्या-पी 22 (1)/14-2-2015-तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हेतु है-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय,केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार,लखनऊ।
(2)- जिलाधिकारी, फैजाबाद।
(3) वन संरक्षक, सरयू वृत्त, फैजाबाद।
(4)- प्रभागीय वनाधिकारी, फैजाबाद वन प्रभाग फैजाबाद।
(5) परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 1/73 विनीतखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra